न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 01/2017

RCMS No. 2017/00188

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. लक्ष्मणराम पुत्र देवाराम जाति माली निवासी मालियों का पावटी बास, सोजत सिटी जिला पाली हाल बैंगलोर		1. शोभादेवी पुत्री कुनाराम पत्नी बालकिशन पुत्र देवाराम परिहार जाति माली निवासी मालियों का बड़ा बास, सोजत सिटी
2. भंवरीदेवी पत्नी दीपाराम जाति माली निवासी मालियों का बेरा बादरली तहसील सोजत		2. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सोजत
		3. अध्यक्ष नगरपालिका सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 90(ए)(9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –

1. श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मनीष ओझा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/02/2018

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 90 (ए)(9) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड का तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सोजत चक I के खसरा नम्बर 6229 रकबा 5.3600 हैक्टेयर की भूमि शोभादेवी पुत्री कुनाराम माली हिस्सा 10465/53600, संदीप कुमार त्रिवेदी पुत्र रेवाशंकर हिस्सा 83/53600, हरीश कुमार चांदावत पुत्र पुरूषोतम चांदावत हिस्सा 172/53600, लक्ष्मणराम पुत्र देवाराम हिस्सा 1/75, शोभादेवी पत्नी बालकृष्ण परिहार, कांतादेवी पत्नी कैलाशचन्द्र परिहार हिस्सा 14/75, रामेश्वरलाल पुत्र देवाराम हिस्सा 1/5, प्रेमप्रकाश पुत्र देवाराम माली हिस्सा 1/5, भंवरीदेवी पत्नी दीपाराम हिस्सा 1/5 जाति माली दर्ज है। इस अनुसार उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। अपीलाण्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि सोहनलाल पुत्र मांगीलाल देवपुरा से खरीद की है। तत्कालीन राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 6229 रकबा 5.36 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्से की भूमि सोहनलाल के नाम दर्ज थी, एवं सारी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भूमि एक ही चक में स्थित थी, कोई विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ था। अपीलाण्ट संख्या 1 बैंगलोर में व्यवसाय के सिलसिले में निवास करता है। अपीलाण्ट को हाल ही में यह जानकारी हुई की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 12.07.2005 को नगरपालिका सोजत से खसरा नम्बर 6229 में से 100 वर्गगज भूमि का आवासीय रूपान्तरण करवाकर पट्टा स्वयं के नाम जारी करवा लिया है। इस पर अपीलाण्ट द्वारा इस विधि विरूद्ध कार्यवाही के विरूद्ध विभिन्न अधिकारीयों के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किए। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त भूमि के सह खातेदार है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि को आवासी प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवा कर अपने नाम का पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध है। तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सोजत द्वारा ग्राम सोजत चक I के खसरा नम्बर 6229 में से 100 वर्गगज भूमि की धारा 90 बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पत्रावली प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सोजत को प्रेषित की, जिस पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 67/2004 के अनुसार धारा 90 बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 63 (ा) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निर्णय दिनांक 04.07.2005 को खसरा नम्बर 6229 में से 100 वर्गगज भूमि खातेदार द्वारा राज्य सरकार को समर्पण करने पर भूमि राज्यहित में पुनर्ग्रहित की गई। उक्त निर्णय की अनुपालना में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 44/2003–2004 शोभादेवी बनाम नगरपालिका सोजत में निर्णय दिनांक 08.07.2005 को खसरा नम्बर 6229 रकबा 5.36 हैक्टेयर में से 100 वर्गगज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति पत्र के आधार पर जैर अपील पट्टा जारी किया गया है, जबकि सहमति पत्र पर समस्त खातेदारान के हस्ताक्षर ही नहीं थे। इसके अलावा सह खातेदारी भूमि में से भूमि के विशिष्ठ हिस्से का पट्टा जारी किया गया है, जबकि भूमि का न तो विधिवत बंटवाडा हुआ तथा न ही किसी विशिष्ठ हिस्से पर कब्जा काश्त पृथक था। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भी आपत्ति आमंन्त्रित करने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में करवाई, जबकि अपीलाण्ट संख्या 1 बैंगलोर निवास करता है, इसके कारण उसे उक्त सूचना बाबत कोई जानकारी ही नहीं हुई एवं अपीलाण्ट संख्या 2 निरक्षर है, जिसको भी यह जानकारी नहीं हो सकी। जमाबन्दी में उक्त भूमि आज भी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम बतौर खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जब नगरपालिका के नाम भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद ही नहीं हुआ, तो नगरपालिका को उक्त भूमि पर पट्टा जारी करने की अधिकारिता ही नहीं थीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस सहमति पत्र के आधार पर जैर अपील आदेश पारित करने की समस्त कार्यवाही सम्पादित की गई, उस सहमति पत्र पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर ही नहीं है। इस कारण जैर अपील आदेश अपीलाण्ट के हक हकूकों के विरूद्ध बेअसर एवं शून्य प्रभावी है। विधि अनुसार हक हकूकों के प्रश्नों के निर्धारण हेतु मियाद को गौण करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना ही न्यायोचित

अति. जिला कलेक्टर, पाली

माना है। अतः अपीलाण्ट की अपील अन्दर मयाद शुमार करावे एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट मूलतः सोजत का ही निवासी है, जिसका मतदाता परिचय पत्र सोजत का जारी सुदा है एवं निर्वाचक नामावली में भी नाम दर्ज है। अपीलाण्ट उक्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार कतई नहीं है तथा अपीलाण्ट संख्या 2 द्वारा सोहनलाल देवपुरा से विधि विरूद्ध रूप से मौके पर भूमि नहीं होते हुए भी अपीलाण्ट संख्या 2 के पक्ष में खसरा नम्बर 6229 के 1/5 हिस्से की बेचान रजिस्ट्री वर्ष 2010 में निष्पादित करवाई, जिसे निरस्त करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं अन्य खातेदारान द्वारा सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सोजत एवं नगरपालिका सोजत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर जैर अपील पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट को उक्त पट्टा जारी करने होने की जानकारी वर्ष 2005 में ही हो चुकी थी, क्योंकि स्वयं लक्ष्मणराम द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शोभादेवी एवं रामेश्वरलाल, प्रेमप्रकाश के पक्ष में उपरोक्त भूमि को आबादी एवं वाणिज्यिक रूपानतरण करवाने हेतु दिनांक 29.10.2003 को एक सहमति पत्र तहरीर व तकमील कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया है, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा सहमति व्यक्त की है। स्वयं अपीलाण्ट का यह कथन है कि उनके द्वारा सचिवालय जयपुर में फर्जी पट्टा जारी करने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 01.07.2016 को यह जवाब प्राप्त हुआ कि यदि नगरपालिका की कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं हो तो सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें, उसके बावजूद भी दिनांक 01.07.2016 से मार्च 2017 तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की, जिस कारण अपीलाण्ट परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका अधिनियम की धारा 300 के तहत निगरानी की जाती है, जिन शक्तियों को धारा 327 में समाहित किया जा चुका है। स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 के द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2009 की धरा 73 की उपधारा 2 सपठित धारा 337 के अन्तर्गत सम्पति के अन्तरण एवं संविदा की सुनवाई का निस्तारण करने हेतु संभागीय आयुक्त को अधिकृत कर दिया गया है, इसलिए यह अपील इस न्यायालय के श्रवणाधिकार की नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पूर्व में सोहनलाल देवपुरा की खातेदारी भूमि थी, जिसे शोभादेवी, रामेश्वरलाल, प्रेमप्रकाश व लक्ष्मणराम द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 12.07.21992 के 1/5–1/5 हिस्सा खरीद किया। माफिक बेचान इकरारनामा के अनुसार लक्ष्मणराम ने अपना 1/5 हिस्सा शोभादेवी को दिनांक 09.10.1994 को बेचान कर दिया, उसके पश्चात उक्त भूमि में लक्ष्मणराम का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा। चूंकि सोहनलाल देवपुरा द्वारा उक्त भूमि की बेचान रजिस्ट्री निष्पादित नहीं किए जानक पर लक्ष्मणराम, प्रेमप्रकाश एवं रामेश्वरलाल द्वारा संविदा की विर्निदिष्ट पालना का वाद श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें पारित निर्णय एवं डिक्री की

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पालना में सोहनलाल देवपुरा द्वारा एक रजिस्टर्ड आम मुख्तीयार बालकृष्ण परिहार के पक्ष में दिनांक 31.01.1997 को तहरीर व तकमील किया, जिसके आधार पर बालकृष्ण परिहार द्वारा 1/5–1/5 हिस्से अनुसार बेचान इकरारनामा दिनांक 31.12.1996 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर कब्जा शोभादेवी को सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार अपीलाण्ट संख्या 1 का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नहीं है। लक्ष्मणराम द्वारा एक आम मुख्तियार नामा दिनांक 04.05.1998 को रामेश्वरलाल के पक्ष में निष्पादित कर आम मुख्तियार नियुक्त किया, जिसके आधार पर रामेश्वरलाल द्वारा भीकमचन्द, घनश्याम व पारसमल के पक्ष में दिनांक 22.06.2001 भूखण्ड संख्या 46, 47 व 48 का बेचान किया। इसके अतिरिक्त भूखण्ड संख्या 95 की बेचान रजिस्ट्री जरिये आम मुख्तियार दिनांक 09.12.1998 को की गई। शेष कृषि भूमि की बेचान रजिस्ट्री लक्ष्मणराम द्वारा शोभादेवी व कान्तादेवी के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 21.03.2005 को निष्पादित की गई। इसके पश्चात उक्त भूमि में लक्ष्मणराम का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा। अपीलाण्ट द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि के छोटे छोटे भूखण्ड काट कर भूखण्डों का बेचान किया है तथा भूखण्डों का रकबा 10 एयर से कम का होने से बेचान रजिस्ट्री के आधार पर राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण दायर नहीं किया जा सका। इस कारण उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट संख्या 1 का नाम दर्ज चजा आ रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति अनुसार अपीलाण्ट संख्या 1 का उपरोक्त भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं है। इस प्रकार अपीलाण्ट की अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। इस सम्बन्ध में आर0एल0आर0 2000 (2) चिमनलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य में भी वृहदपीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "No Period of Limitation provided either u/s 27-A of the Act or u/R272 og the Rules for exercising revisional power—Wather revisional power can be exrcised at any time – Held, when no period of limitation is provied either under Act or Rules then power has to exercised within reasonable time and reasonable time will depend upon facts and circumstances of each case " इस अनुसार युक्तियुक्त समय की संगणना प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करना प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां हक हकूकों का प्रश्न निहित हो, वहां प्रकरण का मियाद का बिन्दु गौण रखते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही न्यायोचित माना है। अतः प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। प्रकरण में मुख्य तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नगरपालिका के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सोजत चक ।। के खसरा नम्बर 6229 रकबा 5.36 हैक्टेयर में से 100 वर्गगज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आवेदन पत्र के ग्राम सोजत चक ।। की जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 के खाता संख्या 1480 की नकल, सह खातेदारान का सहमति पत्र की नकल, नक्शा प्लान आदि प्रस्तुत किया। इस पर नगरपालिका सोजत द्वारा मौका जांच कर प्लॉन अनुमोदन के पश्चात 90 बी की कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष भिजवाने का आदेश पारित किया। प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 67/2004 अन्तर्गत धारा 90 बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 63 (।।) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 04.07.2005 को निर्णय पारित करते हुए ग्राम सोजत चक ।। के खसरा नम्बर 6229 रकबा 100 वर्गगज भूमि के खातेदारी अधिकार पुनर्ग्रहित किये जाकर स्थानीय निकाय (नगरपालिका सोजत) के अधीन राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किया। इसके पश्चात नगरपालिका सोजत द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार एक सह खातेदारी भूमि के विधिक विभाजन से पूर्व समस्त खातेदारान का प्रत्येक इंच की भूमि पर संयुक्त कब्जा माना गया है। जिस सहमति पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नगरपालिका सोजत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं जैर अपील आदेश की पृष्ठभूमि तैयार हुई, उक्त सहमति पत्र पर समस्त खातेदारान् के हस्ताक्षर नहीं है, इस कारण उक्त सहमति पत्र के आधार पर पारित आदेश को सद्भाविक नहीं माना जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2005 की पालना में भूमि को नगरपालिका सोजत के अधीन दर्ज किया जाना था एवं इसकी सुनिश्चितता के पश्चात ही भूमि के विक्रय/आवंटन/नियमितिकरण के अधिकार नगरपालिका को प्राप्त होते। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में भी उक्त भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सहित अन्य खातेदारान् की सह खातेदारी के तौर पर दर्ज है, जिसमें लगे नोट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 3618 नि.दि. 10.12.2013 रहननामा के अनुसार रहन – शोभादेवी पुत्री कुनाराम पत्नि बालकृष्ण, कान्तादेवी पत्नि कैलाशचन्द्र, प्रेमप्रकाश पुत्र देवाराम कौम माली का हिस्सा एम.जी.बी. शाखा सोजत के पक्ष में रहन दर्ज है। इस प्रकार प्रकरण में दो भिन्न भिन्न स्थितियां प्रकट हो चुकी है, प्रथम – यह कि नगरपालिका द्वारा भूमि राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं होने के बावजूद जैर अपील आदेश के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, न्यायोचित है अथवा नही ? तथा दूसरा यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नगरपालिका से उक्त भूमि का आबादी के रूप में पट्टा प्राप्त करने के पश्चात इसी भूमि को सम्मिलित करते हुए राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने हिस्से की भूमि बैंक के पक्ष में रहन दर्ज करवाई। दोनों ही स्थितियां अपने आप में विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट राजस्व रेकर्ड में भूमि का सह खातेदार दर्ज है तथा सहमति पत्र पर भी अपीलाण्ट के हस्ताक्षर नहीं है, इस स्थिति में भूमि के विशिष्ठ

अति. जिला कलक्टर, पाली

हिस्से का पट्टा जारी होने से अपीलाण्ट के हक हकूक भी प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त जब भूमि नगरपालिका के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज ही नहीं हुई, तो नगरपालिका को उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं था। द्वितीय स्थिति जो प्रकट हुई, वह जैर अपील वादस्थ भूमि पर लिए गए ऋण के सम्बन्ध में है। यह प्रमाणित तथ्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जैर अपील आदेश एवं उसकी पालना में नगरपालिका सोजत द्वारा जारी पट्टे की सम्पूर्ण जानकारी थी, इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने का अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एम.जी.बी. शाखा सोजत से ऋण लिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 3618 दिनांक 10.12.2013 को स्वीकृत किया गया। प्रक्रिया अनुसार ऋण लेने हेतु पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित तहसीलदार स्तर से भूमि प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का का यह दायित्व था कि वे भूमि की भौतिक रूप से जांच करते, कि उक्त भूमि का उपयोग कृषि भूमि के रूप में हो रहा है अथवा नही ? किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि, राजस्व रेकर्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने का अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए ऋण लिया गया है। यह सम्पूर्ण कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के परिज्ञान में थी, इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का यह कृत्य आपराधिक प्रवृति का पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत अधिकारी (नगरपालिका सोजत) द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार पुनर्ग्रहित करते हुए स्थानीय निकाय के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए, तो सम्बन्धित राजस्व कार्मिकों का यह कर्तव्य था कि उक्त भूमि को स्थानीय निकाय के नाम दर्ज करना सुनिश्चित करते एवं साथ ही अधिशाषी अधिकारी का यह दायित्व था कि जिस भूमि का पट्टा जारी किया जा रहा है, वह भूमि नगरपालिका के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुकी है अथवा नही ? इसकी सुनिश्चितता करते, किन्तु दोनों ही विभागों द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की। यह गंभीर लापरवाही है। इस हेतु दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी सोजत को निर्देशित किया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में जांच करें तथा दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव तैयार कर सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करें। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना गया है, तो भूमि के विशिष्ठ हिस्से (Specific peace of land) को बिना विधिक विभाजन के आबादी में रूपान्तरण किया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार जैर अपील आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नगरपालिका सोजत द्वारा प्रकरण संख्या 67/2004 अन्तर्गत धारा 90–बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2005 एवं उसकी पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आवंटन/विक्रय पत्र संख्या 46/2003–04 दिनांक 12.07.2005 को अपास्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे, साथ ही उपखण्ड अधिकारी, सोजत को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली